संख्या 2847 / III-2/05-79(प्र.आ.)/05

प्रेषक,

डी0 के0 पन्त,
संयुक्त सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता स्तर-1,
लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2 देहरादून, दिनांक 10 दिसम्बर, 2005

विषय:- वित्तीय वर्ष 2005-06 में 81(इक्यासी) कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये 82 कार्यों के रूपये 5478.01 लाख की लागत के आगणनों पर टी.ए.सी. द्वारा परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी 81 कार्यों पर रूपये 5136.43 लाख (रूपये इक्यावन करोड़ छत्तीस लाख तैंतालीस हजार मात्र) की लागत के आगणन की उनके सम्मुख अंकित संलग्न विवरणानुसार प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्य प्रारम्भ करने हेतु प्रत्येक कार्य के लिये उनके सम्मुख कालम-06 में अंकित विवरणानुसार कुल रू0 8.10 लाख (रू0 आठ लाख दस हजार मात्र) की धनराशि की वर्तमान वित्तीय वर्ष 2005-06 में व्यय की भी श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1. आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन भूमि एवं निजी भूमि आदि की कार्यवाही की जाय, तथा भूमि का भुगतान नियमानुसार प्रथम वरीयता के आधार पर किया जाय एवं भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कर कब्जा प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।

2. कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

3. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत मार्ग है, स्वीकृत मार्ग से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

4. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन विभाग की स्वीकृति आवश्यक होगी।

5. एकमुश्त प्राविधान वाले कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

6. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मद्देनजर रखते हुए पूर्ण कर लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

7. कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भाँति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।

8. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय,एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

9. निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाए, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय।

10. कार्यदायी संस्थाओं का निर्धारण वित्त अनुभाग-1 द्वारा निर्गत शासनादेश 452/XXVII(1)/2005 दिनांक 05 अप्रैल 2005 एवं उनके द्वारा समय समय निर्गत आदेशों के अनुसार ही किया जायेगा।

	ग्राम नूरपुर से कॉलोनी नं0 1 तक सड़क का पुनः निर्माण कार्य	3.50	49.35	49.35	0.10
15.	बाजपुर रोड काशीपुर दिल्ली ढाबे के सामने से उत्तर दिशा की ओर श्री [illegible] सिंह नेगी के घर तक की तरफ सड़क निर्माण कार्य	0.250	3.53	3.53	0.10
16.	हरिपलोर मिल मार्ग का बी.एम. और एस.डी.बी.सी. द्वारा सुधार कार्य	0.84	32.91	32.33	0.10
17.	स्टेडियम से गुरुद्वारा होते हुए बैलजुड़ी मोड़ तक मार्ग का पुनः निर्माण	3.70	167.76	163.70	0.10
18.	काशीपुर में चौरी चौराहे से ललिता देवी रोड का शुगर फैक्ट्री एवं नगर पालिका मार्ग से होते हुए टांडा चौराहे तक निर्माण	2.80	174.05	170.70	0.10
19.	पौड़ी गढ़वाल में रामख्याल मेंदोली मोटर मार्ग का नव निर्माण	3.00	41.70	41.70	0.10
20.	पौड़ी गढ़वाल में [illegible] मोटर मार्ग का निर्माण	3.00	41.70	41.70	0.10
21.	पौड़ी गढ़वाल में [illegible] मोटर मार्ग का निर्माण	4.00	55.60	55.60	0.10
22.	सोमपुर [illegible] मार्ग का [illegible] से राष्ट्रीय राजमार्ग सं072 तक मार्ग निर्माण	6.00	83.40	83.40	0.10
23.	ग्राम नत्थनपुर के अन्तर्गत अलकनन्दा इन्कलेव व हिमाद्री इन्क्लेव की सड़कों का निर्माण	2.00	34.40	32.40	0.10
24.	शिवमन्दिर [illegible] से [illegible] सम्पर्क मार्ग का डामरीकरण	1.200	20.65	19.40	0.10
25.	[illegible] से श्री [illegible] के घर तक निर्माण	1.00	17.20	16.20	0.40
26.	[illegible] में [illegible] मोहल्ला डामरीकरण	0.500	8.60	8.10	0.10
27.	[illegible] में शहीद [illegible] सिंह नेगी मार्ग का डामरीकरण	1.00	17.20	16.20	0.10
28.	दोनाली [illegible] [illegible] की तरफ मार्ग का डामरीकरण	1.00	17.20	16.20	0.10
29.	देहरादून में रिंग रोड स्थित लेन नं0 6 में श्री बद्रीनाथ-केदारनाथ मन्दिर समिति कार्यालय से श्री रामस्वरूप जोशी के घर तक पहुँच मार्ग	0.225	3.15	3.08	0.10
30.	जनपद रूद्रप्रयाग में मदमहेश्वर घाटी के अन्तर्गत [illegible] चौक से [illegible] तक मोटर मार्ग नव निर्माण	5.00	84.00	84.00	0.10
31.	जनपद हरिद्वार में ओरंगपुर में जयपाल के खेत से [illegible] के खेत तक स्थित कच्चे मोटर मार्ग पर ईंट खंडजा निर्माण	1.00	8.70	8.70	0.10
32.	जनपद हरिद्वार में [illegible] के कच्चे रास्ते पर ईंट खंडजा निर्माण	1.50	13.05	13.05	0.10

कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सभी योजनाओं हेतु भूमि का अर्जन कर के कब्जा लेने के बाद ही धनराशि का आहरण किया जायेगा और यदि कब्जा प्राप्त नहीं होता है तो उस योजना हेतु धनराशि का आहरण नहीं किया जायेगा।

12. यदि उक्त कार्यों में से किसी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

13. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो उनमें व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनों/पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ-साथ विस्तृत आगणनों पर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाय। स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक-31.03.2006 तक उपयोग सुनिश्चित कर लिया जाय। कार्य कराते समय टेण्डर विषयक नियमों का भी अनुपालन किया जाय।

14. आगामी किस्त तब ही अवमुक्त की जायेगी जब स्वीकृत की जा रही धनराशि का पूर्ण उपभोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया जाय। उक्त धनराशि के पूर्ण उपयोग के उपरान्त ही आगामी किस्त अवमुक्त की जायेगी ।

15. कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु संबंधित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

16. इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2005-06 के आय व्ययक में लोक निर्माण विभाग के अनुदान संख्या-22 लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय -04 जिला तथा अन्य सड़कें-आयोजनागत-800-अन्य व्यय -03 राज्य सेक्टर -02 नया निर्माण कार्य-24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

17. यह आदेश वित्त अनुभाग 2 के अशासकीय संख्या यू.ओ. 222/XXVII (2)/2005 दिनांक 17 दिसम्बर, 2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक: 81 कार्यों की सूची।

भवदीय,

([illegible] पन्त)
[illegible] सचिव।

संख्या [illegible]/(1)/III 2/05, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त गढ़वाल/कुमायूं मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
3. समस्त जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
4. मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल/कुमायूं क्षेत्र, लो.नि.वि., पौड़ी/अल्मोड़ा ।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तरांचल, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ उत्तरांचल शासन।
8. लोक निर्माण अनुभाग 1/3 उत्तरांचल शासन ।
9. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

([illegible] पन्त)
संयुक्त सचिव।